

राजस्थान संवाद  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग परिसर  
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक राज.संवाद/2020-21/ 87-105

जयपुर, दिनांक 13/11/2020

कार्यालय आदेश

निविदा संख्या 1144 दिनांक 17.07.2020 के अंतर्गत राजस्थान संवाद द्वारा राज्य के सभी राजकीय विभागों, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों के प्रिन्ट (सजावटी एवं वर्गीकृत) विज्ञापन एवं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन जारी करने संबंधित समस्त कार्य यथा डिजाईन, आर्ट वर्क, ले-आउट, संबंधित संस्थान से सम्पर्क, संदर्भ सामग्री लेने/अनुमोदन प्राप्त करने, विज्ञापन प्रकाशन एवं संस्थान को बिल भिजवाकर भुगतान राजस्थान संवाद में जमा कराने आदि कार्य जॉब बेसिस पर करने हेतु निम्नांकित विज्ञापन एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया जाता है:-

क्र.सं.	एजेंसी का नाम
1	M/s Disha Communication Pvt. Ltd., Jaipur
2	M/s Srishti Sanchar Advertising, Jaipur
3	M/s Bubna Advertising, Jaipur
4	M/s Shakun Advertising Pvt. Ltd., Jaipur
5	M/s Quick Advertising Co., Jaipur
6	M/s Prayas Creations, Jaipur
7	M/s Concept Communication Ltd., Jaipur
8	M/s Fast Communication, Jaipur
9	M/s Jaipur Publicity Centre, Jaipur
10	M/s Mode Advertising & Marketing Pvt. Ltd., Jaipur
11	M/s Pinkcity Advertising Co. Pvt. Ltd., Jaipur
12	M/s S Jee Advertising LLP, Jaipur
13	M/s Omni Media Communication Pvt. Ltd., Jaipur
14	M/s Atul Publicity Pvt. Ltd., Jaipur
15	M/s Onward Advertising, Tonk Road, Jaipur
16	M/s Harmilap Media Pvt. Ltd., Jaipur
17	M/s Span Communications, Jaipur
18	M/s Ventures Advertising Pvt. Ltd., Jaipur
19	M/s Shubh Advertising & Marketing Pvt. Ltd., Jaipur
20	M/s Chandra Trio Services Pvt. Ltd., Jaipur
21	M/s Design Indya, Jaipur
22	M/s Angle Advertising, Jaipur

उपरोक्त सूचीबद्ध विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन संबंधी कार्य के लिए राजस्थान संवाद द्वारा सजावटी विज्ञापन राशि का 5% (पांच प्रतिशत) तथा वर्गीकृत एवं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन का 4.80% (चार दशमलव आठ शून्य प्रतिशत) भुगतान राशि प्राप्त होने के बाद किया जावेगा एवं जी.एस.टी. अलग से देय होगा।

संबंधित एजेंसी निविदा की शर्तों के अनुसार दो दिवस में अनुबंध पत्र जो राशि 500/- (अक्षरे राशि पांच सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर राजस्थान संवाद के कार्यालय में जमा करावें जो कि निविदा



शर्तो का भाग माना जावेगा। उक्त दरें दिनांक 20.11.2020 से 19.11.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत होगी, जिन्हे निविदा की शर्तो के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।

विज्ञापन जारी कर्ता विभाग/स्थानीय निकाय/बोर्ड आदि द्वारा राजस्थान संवाद को विज्ञापन के लिये समाचार पत्रों की स्वीकृत दर में से 15 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देना होगा। संबंधित विभाग अखबारों से एक प्रतिशत पत्रकार कल्याण कोष राशि नियमानुसार पृथक से कटौती कर आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भिजवायेंगे।

प्रबंध निदेशक  
राजस्थान संवाद

क्रमांक राज.संवाद/2020-21/

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस विभाग
2. वरिष्ठ प्रबंधक, राजस्थान संवाद
3. भुगतान शाखा/लेखा शाखा/कम्प्यूटर शाखा, राज. संवाद
4. विज्ञापन एजेंसी मैसर्स .....
5. समस्त राजकीय विभाग/निगम/बोर्ड/स्थानीय निकाय/अन्य स्वायत्तशासी संस्थाएं
6. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (वित्त)  
राजस्थान संवाद